राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक/कअ/सामान्य/एफ(40)/2019/3084 दिनांकः- 17-03-2020

निमित्तः-

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, किशनगढ़।

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा (ओ0ए0 संख्या 853/2019, श्री सुखराम मालाकर बनाम स्टेट आफ राजस्थान) में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के सबंध में।

प्रसंगः- आपका पत्र कमांक 2407 दिंनाक 3.12.2019 व इस कार्यालय का पत्र कमांक 1500 दिनांक 10.2.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासगिंक पत्र के कम में लेख है कि श्री सुखराम मालाकार एडवोकेट किशनगढ़ द्वारा गुन्दोलाव झील किशनगढ़ में अतिक्रमण कर भराव क्षेत्र को कम करने के सबंध में एनजीटी में प्रस्तुत परिवाद के सबंध में आयुक्त, नगर परिषद किशनगढ़ द्वारा अपने पत्र कमांक 1568 दिनांक 13.3.2020 से तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवायी गयी है जिसकी छाया प्रति सलग्न कर प्रेषित है।

अतिरिक्त कलक्टर, अजमेर
दिनांक 17-03-2020

सलग्नः-उपरोक्तानुसार

क्रमांक/कअ/सम/3085-87

प्रतिलिपिः- निम्नाकिंत को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1- आयुक्त, नगर निगम अजमेर।
2- उपखण्ड अधिकारी,किशनगढ़।
3- आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़।
4- Consultant (Judicial) (N.G.T) (P.B)

अतिरिक्त कलक्टर, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राज.

क्रमांक : नपकि/विकास/2020/ 1560 दिनांक :- 13-3-2020

श्रीमान अतिरिक्त कलक्टर महोदय
कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर।

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा (ओ.ए.सं. 853/2019 श्री सुखराम मालाकर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान) में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के संबंध मे।

प्रसंग :– श्रीमान का पत्र कमांक 2648–52 दिनांक 05.03.2020 एवं परिषद का पूर्व पत्रांक 1388 दिनांक 07.02.2020 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि श्रीमान का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें श्री सुखराम मालाकार एडवोकेट किशनगढ द्वारा एनजीटी में पत्र लिखकर गुन्दोलाव झील किशनगढ में अतिक्रमण कर भराव क्षेत्र को कम करने के संबंध में लिखा है जिसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

1. प्रश्नगत स्थल किशनगढ स्थित खसरा नं. 1140/2 में आता है जिसका किशनगढ मास्टर प्लान (2011–2031) में आवासीय दर्शाया गया है, प्रति संलग्न है।
2. उक्त स्थल का नगर परिषद द्वारा दिनांक 12.07.2017 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत् आयोजित जन कल्याण शिविर में राज्य सरकार द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा ले–आउट प्लान स्वीकृत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है एवं साथ ही उक्त ले–आउट प्लान अनुसार दिनांक 04.08.2017 को परिषद कोष में नियमन राशि जमा कराई जा चुकी है। स्वीकृत ले–आउट प्लान अनुसार खातेदार द्वारा उक्त खसरे मे विकास कार्य करवाये गये है।
3. गुन्दोलाव झील संरक्षित किये जाने हेतु जिला स्तरीय झील संरक्षण समिति में उपखण्ड स्तर पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट एवं राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा भी रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय झील संरक्षण विकास समिति को भिजवाई जा चुकी है जिसकी प्रति संलग्न है।

अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

(विकास)
आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़

दिनांक :-

क्रमांक : नपकि/विकास/2020/
प्रतिलिपी :–
1. श्रीमान आयुक्त महोदय, नगर निगम अजमेर।
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ।

(विकास)
आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राज.

क्रमांक : नपकि/विकास/2020/ 1388 दिनांक :- 07/2/2020

श्रीमान आयुक्त महोदय
नगर निगम अजमेर एवं सदस्य सचिव
राज. झील संरक्षण एवं
विकास जिला स्तरीय समिति
अजमेर।

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा (एनजीटी) द्वारा (ओ.ए.सं. 853/2019 श्री सुखराम मालाकर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान) में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के संबंध मे।

प्रसंग :– श्रीमान का पत्र कमांक 3179 दिनांक 19.12.2019 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि श्रीमान का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें श्री सुखराम मालाकार एडवोकेट किशनगढ द्वारा एनजीटी में पत्र लिखकर गुन्दोलाव झील किशनगढ में अतिकमण कर भराव क्षेत्र को कम करने के संबंध में लिखा है जिसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

1. प्रश्नगत स्थल किशनगढ स्थित खसरा नं. 1140/2 में आता है जिसका किशनगढ मास्टर प्लान (2011–2031) में आवासीय दर्शाया गया है, प्रति संलग्न है।
2. उक्त स्थल का नगर परिषद द्वारा दिनांक 12.07.2017 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत् आयोजित जन कल्याण शिविर में राज्य सरकार द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा ले–आउट प्लान स्वीकृत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है एवं साथ ही उक्त ले–आउट प्लान अनुसार दिनांक 04.08.2017 को परिषद कोष में नियमन राशि जमा कराई जा चुकी है। स्वीकृत ले–आउट प्लान अनुसार खातेदार द्वारा उक्त खसरे मे विकास कार्य करवाये गये है।
3. गुन्दोलाव झील संरक्षित किये जाने हेतु जिला स्तरीय झील संरक्षण समिति में उपखण्ड स्तर पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट एवं राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा भी रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय झील संरक्षण विकास समिति को भिजवाई जा चुकी है जिसकी प्रति संलग्न है।

अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़

क्रमांक : नपकि/विकास/2020/ (1389-1391) दिनांक :- 07/2/2020

प्रतिलिपी :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर।
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ।

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़

प्रतिप्राप्त की।
7/2/2020

कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राज.

क्रमांक : नपकि/विकास/2020/ 131 दिनांक :- 20/1/2020

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
जिला अजमेर (राज.)

विषय :– राज. झील विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.01.2020 को आयोजित होने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– नगर परिषद किशनगढ़ का पूर्व पत्रांक नपकि/विकास/2019/129–130 दिनांक 20.02.2020 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के पत्रानुसार राज. झील विकास प्राधिकरण के श्रीमान् अध्यक्ष एंव सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2020 को प्रातः11:00 बजे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर बैठक आयोजित की गई है। उक्त बैठक में एजेन्डा के कम सं. 05 अनुसार गुन्दोलाव झील किशनगढ़ को संरक्षित घोषित किये जाने की अधिसचूना जारी करने हेतु अधिसूचना जारी किये जाने से पूर्व प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर गठित राज्य स्तरीय समिति से जिला स्तरीय झील संरक्षण एंव विकास समिति अजमेर के माध्यम से रिपोर्ट/टिप्पणी प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया है।

उक्त कम में निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र कमांक/कअ/सामान्य/फ...../2019/4400–4404 दिनांक 09.04.2019 एंव कार्यालय नगर निगम, अजमेर का पत्र कमांक ME(W)3602 दिनांक 19.03.2019 एंव MEW/3668 दिनांक 29.03.2019 द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय किशनगढ़, तहसीलदार किशनगढ़, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन, अजमेर एंव अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद किशनगढ़ को गुन्दोलाव झील का सर्वे कर रिपोर्ट करने हेतु लिखा गया था।

उक्त कम में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय किशनगढ़, के पत्र कमांक/पीए/2019/2262–66 दिनांक 20.05.2019 अनुसार गुन्दोलाव झील के संरक्षण एंव विकास हेतु एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्य थे।

(A) अधीक्षण अभियन्ता, नगर परिषद किशनगढ़।
(B) अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद किशनगढ़।
(C) सहायक अभियन्ता, नगर परिषद किशनगढ़।
(D) अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, अजमेर।
(E) सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, अजमेर।

उक्त गठित कमेटी में नियुक्त सदस्यों को तकनीकी राय/रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया था। उक्त गठित कमेटी द्वारा अध्यक्ष महोदय, झील संरक्षण एंव विकास समिति एंव उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ़ को पत्र कमांक/193/विकास दिनांक 22.05.2019 द्वारा कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। उक्त कमेटी की रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न है। उक्त कम मे निवेदन है कि गुन्दोलाव झील , किशनगढ़ को राजस्थान झील (संरक्षण एवं विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 की धारा 4 व 5 के तहत सरंक्षित घोषित कराने हेतु जिला स्तरीय झील (संरक्षण एवं विकास) समिति अजमेर से राजस्थान झील विकास प्राधिकरण को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। जिस बाबत् राजस्थान झील विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 05.02.2018 के एजेण्डा संख्या 02 के तहत बाद विचार विमर्श प्राधिकरण द्वारा गुन्दोलाव झील को सरंक्षित घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसके अनुसरण मे एक्ट धारा 4 व 5 के तहत अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार से अनुमोदन हेतु माननीय मंत्री महोदय , स्वायत्त शासन विभाग को भिजवाया गया। माननीय मंत्री महोदय द्वारा पत्रावली पर निर्देश प्रदान किये गये कि प्राप्त अभ्यावेदन/आपत्तियों का तकनीकी विशेषज्ञ से परीक्षण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश प्रदान किये गये थे। जिसके अन्तर्गत श्रीमान् निदेशक एवं सयुक्त सचिव महोदय पदेन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी , राजस्थान झील विकास प्राधिकरण, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक प. 8(झील) (16) नियम /डीएलबी/18/551 दिनांक 08.08.2019 द्वारा राज्य स्तरीय तकनीकी समिति का घठन किया गया था। जिसमे निम्नानुसार सदस्य थे।

1. श्री मुकेष कुमार मित्तल , वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
2. श्रीमती सीता वर्मा, सचिव, नगर निगम अजमेर।
3. श्री पुरूषोत्तम जैसवानी, अधिशाषी अभियंता , निदेषालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
4. श्री विकास कुमावत, आयुक्त, नगर परिषद किशनगढ़।
5. श्री त्रिलोचन कुमावत, सहायक अभियंता, नगर परिषद किशनगढ़।
6. श्री अशोक कुमार, कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद किशनगढ़।

उक्त कमेटी द्वारा दिनांक 30.08.2019 को प्राप्त अभ्यावेदन/आपत्ति स्थल का मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट कमेटी द्वारा श्रीमान् निदेशक एवं सयुंक्त सचिव महोदय, को प्रस्तुत कर दी गई थी।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत है।

(विकास)
आयुक्त
नगर परिषद, किशनगढ

O/C

क्रमांक : नपकि/संस्थापन/2020/ 132 दिनांक :- 20-1-2020

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान सदस्य सचिव, राज. झील संरक्षण एवं विकास जिला स्तरीय समिति एवं आयुक्त नगर निगम अजमेर।

(विकास)
आयुक्त
नगर परिषद, किशनगढ

O/C

SHOWING CONTOUR F.T.L & M.W.L. WITH KHASARA SUPERIMPOSE PLAN OF GUNDOLAW SAGARAT KISHANGARH, RAJASTHAN

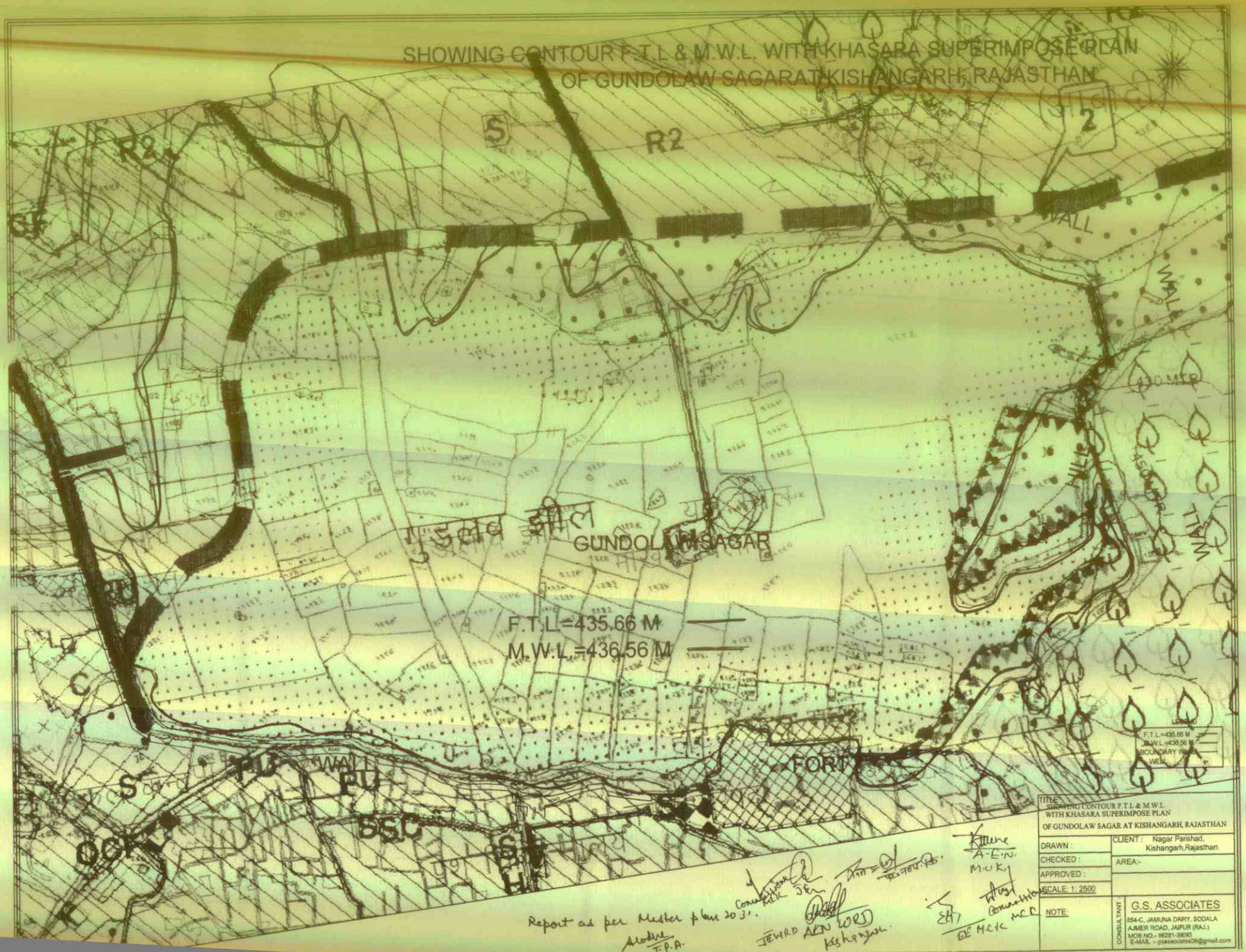

TITLE: SHOWING CONTOUR F.T.L & M.W.L. WITH KHASARA SUPERIMPOSE PLAN OF GUNDOLAW SAGAR AT KISHANGARH, RAJASTHAN

DRAWN :	CLIENT : Nagar Parishad, Kishangarh,Rajasthan
CHECKED :	AREA:-
APPROVED :	
SCALE: 1: 2500	
NOTE:	CONSULTANT: G.S. ASSOCIATES

554-C, JAMUNA DAIRY, SODALA
AJMER ROAD, JAIPUR (RAJ.)
MOB.NO.- 98281-38093
E-MAIL :- gsassociates28@gmail.com

amp. Cam

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान

क्रमांक / नपकि / सामान्य / 17 / 1861 दिनांक 12/7/17

बैठक सं. 05
कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 12 / 07 / 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत आयोजित जन कल्याण शिविर में राज्य सरकार द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहें।

1. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय किशनगढ	**अध्यक्ष समिति**
2. श्रीमान् सीताराम साहू सभापति नगर परिषद किशनगढ	**सदस्य**
3. श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन अजमेर	**सदस्य**
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी नगर परिषद किशनगढ	**सदस्य**
5. अधिशाषी अभियन्ता नगर परिषद किशनगढ	**सदस्य**
6. नगर नियोजन सहायक नगर परिषद किशनगढ	**सदस्य**
7. आयुक्त नगर परिषद किशनगढ	**सदस्य सचिव**

उक्तानुसार कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष निम्नानुसार पत्रावली प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव सं.0 1 कृषि भूमि से संबंधित प्रकरण

राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा नम्बर 677 / 1 रकबा 10 बीघा भूमि का आवासीय प्रकरण आवेदक श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री भंवरलाल, श्री भंवरलाल पुत्र श्री रामकरण के नियमन प्रकरण को समिति के समक्ष रखा गया। खसरा भूमि का प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन अजमेर के पत्र कमांक एजेजेड / 1628 / एमजेके दिनांक 07.10.1998 के द्वारा अनुमोदन की जानकारी समिति को दी गई। समिति द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अनुमोदित प्लान में 10 बीघा भूमि क्षेत्रफल 19360 वर्गगज के स्थान पर 18415 वर्गगज का प्लान अनुमोदित किया गया। जिसके अनुसार आवासीय 60 प्रतिशत क्षेत्रफल 11065 वर्गगज आवासीय प्लान अनुमोदित किया गया। अनुमोदित प्लान में भूखण्डों की संख्या एवं क्षेत्रफल की गणना अनुसार आवासीय भूखण्डो का कुल क्षेत्रफल 11615 वर्गगज यानि 10 बीघा क्षेत्रफल 19360 वर्गगज का 60 प्रतिशत होता है, अंकित किया जाना चाहियें था एवं शेष 40 प्रतिशत क्षेत्रफल सुविधा क्षेत्र एव सडक मार्गाधिकार में दर्शित होना चाहिये था, आवेदको को उक्त अनुमोदित प्लान में से वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा अनुमोदित आवासीय क्षेत्रफल 11065 वर्गगज का नियमन राशि जमा कर आंवटन किया गया है। जबकि 60:40 के अनुपात से 550 वर्गगज भूमि का नियमन किया जाना है, जो अनुमोदित प्लान में पूर्व से अंकित हैं।

समिति द्वारा बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि आवेदक के अनुमोदित प्लान अनुसार त्रुटिवश 550 वर्गगज भूमि जिसका आवासीय नियमन नही किया गया हैं। नियमानुसार नियमन राशि जमा कर नियमन की कार्यवाही की जावें।

प्रस्ताव सं.0 2 :– राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा नम्बर 428 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा भूमि मे से आवेदक श्री राजेन्द्र प्रसाद कटारिया पुत्र श्री बालूराम कटारिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन रकबा 4 बीघा क्षेत्रफल 7744 वर्गगज का आवासीय एकल पट्टा हेतु नियमन प्रकरण प्राप्त होने पर समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रकरण में 90 ए की कार्यवाही होकर भूमि नगर परिषद किशनगढ के नाम दर्ज हो चुकी है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि का आवासीय एकल पट्टा चाहा गया है। प्रस्तावित भूमि का मास्टर प्लान में उपयोग आवासीय प्रयोजन हेतु आरक्षित है। अतः नियमानुसार सेटबेक छोडते हुये प्लान अनुमोदन करने एवं प्रस्तावित भूमि का आवासीय एकल पट्टा जिसका क्षेत्रफल 5000 व. मी. से अधिक होने के कारण प्रकरण में निदेशालय से सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार राशि जमा करवाकर प्रकरण का निस्तारण करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

amp. Cam

प्रस्ताव सं. 3 – राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा नम्बर 1140/2 रकबा 10–01–16–07 बीघा (19536 वर्गगज) भूमि के उप विभाजन कर निर्माण स्वीकृतियां जारी करने के संबध में निदेशालय द्वारा प्राप्त विधिक राय के संबध में पुनः विचार विमर्श एव निर्णय।

उक्त पत्रावली समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा स्वायत शासन विभाग जयपुर द्वारा जारी आदेश कमांक प 8 (क) (एसएलपी) ( )/डीएलबी/15/4956 दिनांक 08.05.2017 एवं पत्र कमांक भूमि/प 7/(ड) (164)/डीएलबी/17/किशनगढ/2811 दिनांक 30.06.2017 के द्वारा प्राप्त आदेश की जानकारी दी गई :–

निदेशालय के पत्र कमांक प 8 (क) (एस.एल.पी) ( )/डीएलबी/15/4956 दिनांक 08.05.2017 के द्वारा प्रश्नगत भूमि श्री गणेश भूमि एवं विकास संस्थान की स्वामित्व की भूमि होने के कारण उक्त भूमि के संबध में उप विभाजन तथा निर्माण स्वीकृतियां नियमानुसार उक्त संस्थान के पक्ष में तत्काल जारी की जाकर विभाग को पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुये थे। प्राप्त आदेशों की पालना में एम्पावर्ड कमेटी की बैठक सं. 03 में सर्व सम्मति से स्वायत शासन विभाग जयपुर के द्वारा प्राप्त उक्त आदेश दिनांक 08.05.2017 के साथ संलग्न उप विभाजन प्लान जो कि वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन अजमेर के पत्र कमांक पत्र कमांक एजेजेड/1631/किशनगढ/10/4345 दिनांक 13.12.2010 द्वारा अनुमोदित था, किन्तु प्रकरण में वाद के संबंध में निदेशालय से विधिक राय एवं मार्ग दर्शन चाहे जाने के कारण विलम्ब होने से उक्त प्लान का तत्कालीन समय में निस्तारण नही हो सका। समिति द्वारा सर्व सम्मति से उप विभाजन की स्वीकृति देते हुये प्लान का अनुमोदन किया जाकर नियमानुसार राशि जमा कराकर उप विभाजन प्लान पारित किये जाने एवं निर्माण स्वीकृतिया जारी किये जाने का निर्णय लिया गया था, किन्तु इसी कम में वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन अजमेर द्वारा जानकारी दी गई कि उक्त योजना का प्लान पूर्व में पारित किया हुआ है। इस लिये प्लान वर्तमान में प्रचलित प्रावधानो के अनुसार पुनः ले आउट प्लान स्वीकृत कराकर कार्यवाही की जानी चाहिये एंव उनके पत्र कमांक एजेजेड/1020/ एमजेके/ 772–776 दिनांक 15.06.2017 के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ जिसमे वर्तमान में 2 हेक्टर से कम क्षेत्रफल की योजना के लिये अधिकतम 60 प्रतिशत भूखण्ड की बिकी योग्य देय है एवं दिनांक 31.05.2017 बैठक सं. 03 के निर्णय से कार्यालय तकनीकी दृष्टि से सहमत नही होना लिखते हुये अपनी आपत्ति होना उल्लेखित किया गया है।

उक्त पत्र के कम में इस कार्यालय के पत्र कमांक नपकि/कृषि भूमि नियमन/ 2017/ 199 दिनांक 16.06.2017 द्वारा श्रीमान निदेशक महोदय स्वायत शासन विभाग राज. जयपुर को पत्र प्रेषित कर प्रकरण में वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन अजमेर के पत्र कमांक एजेजेड/1631/किशनगढ/10/4345 दिनांक 13.12.2010 द्वारा स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार ही कार्यवाही की जानी है अथवा वर्तमान में प्रचलित प्रावधनों के अनुसार पुनः ले आउट प्लान स्वीकृत करवाकर कार्यवाही की जानी है, स्पष्ट विधिक राय भिजवाने हेतु एवं प्रकरण में राशि वसूल करने के संबध में भी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

उक्त पत्र के कम में निदेशालय के पत्र कमांक भूमि/ प 7 (ड) (164) डीएलबी/17/ किशनगढ/ 2811 दिनांक 30.06.2017 द्वारा भूमि का उप विभाजन कर निर्माण स्वीकृतियां जारी करने के संबंध मे विधिक राय निम्नानुसार प्राप्त हुई :–

"नगर परिषद किशनगढ द्वारा राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा नं 1140/2 क्षेत्रफल 19536 वगर्गज भूमि का उपविभाजन कर निर्माण स्वीकृतियां जारी करने के संबंध में यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन अजमेर के पत्र कमांक सं. एजेजेड/1631/किशनगढ/10/4345 दिनांक 13.12.2010 से स्वीकृत प्लान अनुसार कार्यवाही

amp. Cam
की जानी है अथवा वर्तमान में प्रचलित प्रावधानो के अनुसार पुनः ले आउट प्लान स्वीकृत करवाकर कार्यवाही की जानी है तथा प्रकरण में राशि वसूल करने के संबंध मे भी मार्ग दर्शन चाहा गया है।

नगर परिषद किशनगढ को यह निर्देश प्रदान करना उपयुक्त होगा कि वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा दिनांक 13.12.2010 को स्वीकृत ले–आउट प्लान को मुख्यमंत्री जनकल्याण शिविर हेतु प्राधिकृत एम्पावर्ड समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा जावें। प्रकरण के संबध में राशि वसूल करने हेतु पत्रावली विधिक राय प्राप्त करने के लिये महाधिवक्ता महोदय को प्रेषित की गई है। महाधिवक्ता महोदय से विधिक राय प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में राशि वसूल करने के संबध में निर्देश जारी किया जाना संभव हो सकेगा।"

समिति द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों का अवलोकन किया जाकर बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशालय द्वारा प्राप्त उपरोक्त विधिक राय अनुसार वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन अजमेर के पत्र कमांक एजेजेड/1631/किशनगढ/10/4345 दिनांक 13.12.2010 के द्वारा स्वीकृत ले आउट प्लान का अनुमोदन करते हुये प्रकरण में सम्पूर्ण राशि जमा कराई जाकर निर्माण स्वीकृतिया जारी की जावें।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष कमेटी	सभापति नगर परिषद	वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन अजमेर	वरिष्ठ लेखाधिकारी नगर परिषद
अधि. अभियन्ता नगर परिषद	नगर नियोजन सहा नगर परिषद	आयुक्त नगर परिषद	

क्रमांक/नपकि/सामान्य/17/1862-1868 दिनांक 12/7/17

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ

1. श्रीमान निदेशक महोदय स्वायत शासन विभाग राज. जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अजमेर।
3. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय किशनगढ।
4. श्रीमान् सभापति महोदय नगर परिषद किशनगढ।
5. श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन अजमेर।
6. भूमि/ कृषि भूमि नियमन शाखा प्रभारी नगर परिषद किशनगढ।
7. गार्ड फाईल

(नारायण लाल मीणा)
आयुक्त एवं सदस्य सचिव
एम्पावर्ड कमेटी
नगर परिषद किशनगढ

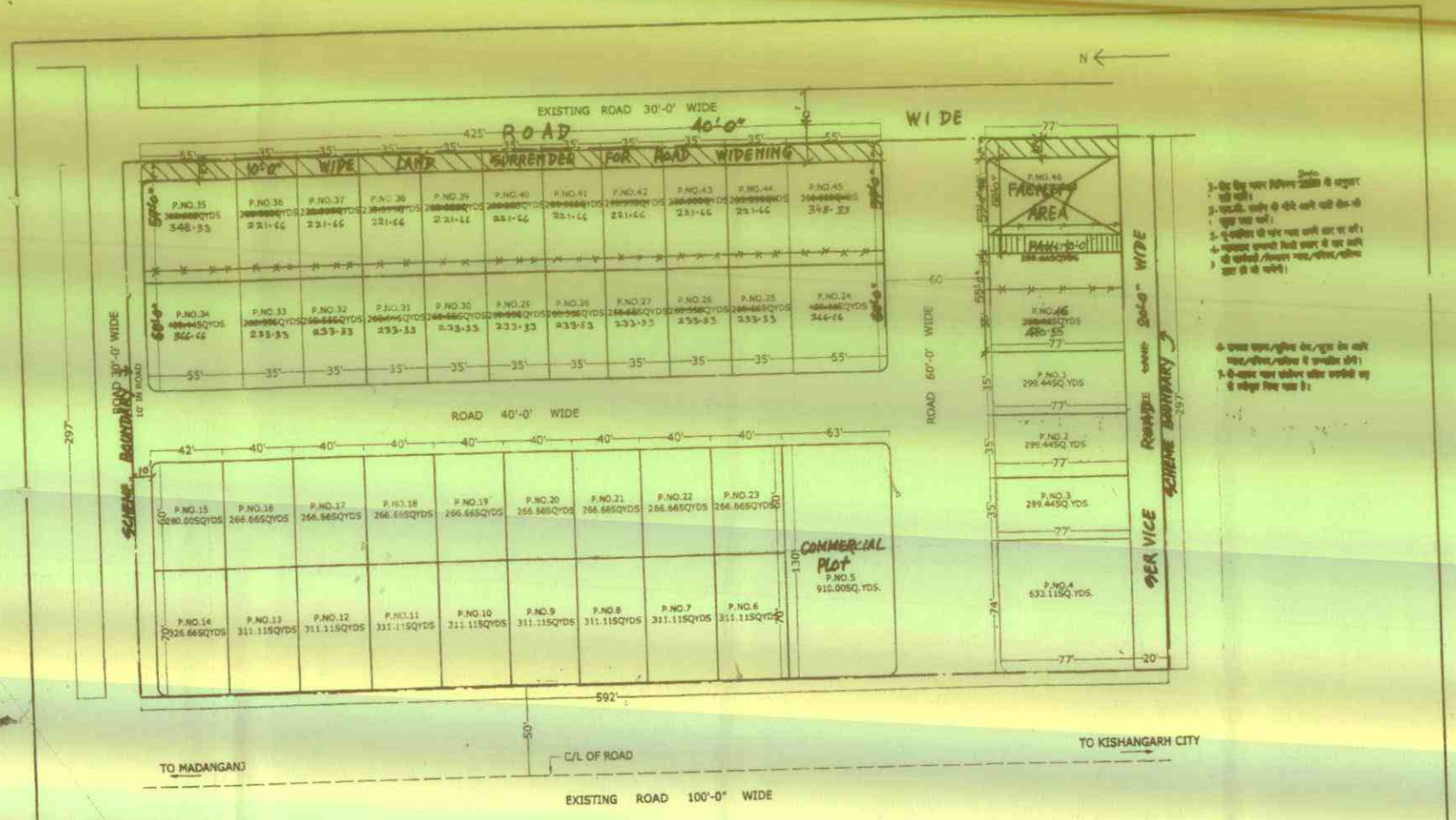

NOTE:-
1.RESIDENTAL LAND AREA 13767.11SQYDS = 70.47%
2.COMMERCIAL LAND AREA 910.00SQYDS = 4.66%
3.LAND IN ROAD/PARK 4858.89SQYDS = 24.87%
4.TOTAL AREA OF LAND 19536.00SQYDS =100.00%

AREA ANALYSIS :-

1.	PLOT AREA	= 12755·88	SQ.YDS.	65·29%
2.	COMMERCIAL AREA	= 910·00	"	4·66%
3.	FACILITY AREA	= 453·44	"	2·32%
4.	ROADS AREA	= 5416·68	"	27·73%
	TOTAL LAND AREA	= 19536·00	SQ.YDS.	100·00%

TECHNICALLY APPROVED AS PER MODIFICATIONS SHOWN IN BLACK AND CONDITIONS MENTIONED IN LETTER NO. ATZ/1631/MJK/4345 DATED 13·XII·10

12/12/X

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
अजमेर

APPLICANT SIGNATURE

LAYOUT PLAN APPROVED BY EMPOWERED COMMITTEE ON DATE 31/5/2017. & 12/7/2017

नगर नियोजक सहायक
नगर परिषद किशनगढ़

आयुक्त
नगरपरिषद किशनगढ़

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

PROPOSED SUB DIVISON PLAN AT KH.NO. 1140 / 2,MADAN GUNJ, KISHANGARH.
BELONGING TO SH. GANESH BHOOMI & VIKAS SANSTHAN

N ←

SACLE (1'=40'-0")

"ACME" ARCHITECTS &BUILDERS
PH-9414002256

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःप.8(झील)(13)नियम/डीएलबी/18/ 551 दिनांक 8/8/19

आदेश

गुन्दोलाव झील, किशनगढ को राजस्थान झील (संरक्षण एवं विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 की धारा 4 व 5 के तहत संरक्षित घोषित कराने हेतु जिला स्तरीय झील (संरक्षण एवं विकास) समिति अजमेर से राजस्थान झील विकास प्राधिकरण को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिस बाबत राजस्थान झील विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 05.02.18 के ऐजेण्डा संख्या 2 के तहत बाद विचार विमर्श प्राधिकरण द्वारा गुन्दोलाव झील को संरक्षित घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया जिसके अनुसरण में एक्ट की धारा 4 व 5 के तहत अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार से अनुमोदन हेतु माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग को भिजवाया गया। माननीय मंत्री महोदय द्वारा पत्रावली पर निर्देश प्रदान किये कि प्राप्त अभ्यावेदन/आपत्तियों का तकनीकी विशेषज्ञों से परीक्षण कराकर प्रस्तुत करें। उक्त निर्देशो की पालना में तकनीकी विशेषज्ञों से परीक्षण कराकर रिपोर्ट भेजने हेतु जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय झील (संरक्षण एवं विकास) समिति अजमेर को पत्र कमांक 2944 दिनांक 06.12.18, 368 दिनांक 21.005.19 एवं 330 दिनांक 16.07.19 भेजे गये। उक्त पत्रों के संदर्भ में जिला कलक्टर अजमेर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ किन्तु आयुक्त, नगर निगम अजमेर से श्रीमान शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान को प्रेषित करते हुए पत्र कमांक MEC/ 1034 दिनांक 24.07.19 की छाया प्रति प्राप्त हुई है जिसमें जिला स्तरीय झील (संरक्षण एवं विकास) समिति की बैठक दिनांक 10.07.19 के निर्णय का उल्लेख करते हुए अंकित किया है कि गुन्दोलाव झील किशनगढ (अजमेर) की झील सीमा एवं संरक्षित क्षेत्र को अधिसूचित करने हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी से परीक्षण कराये जाने का निर्णय लिया गया था।

अतः आयुक्त, नगर निगम अजमेर के प्रस्तावानुसार गुन्दोलाव झील किशनगढ (अजमेर) को संरक्षित घोषित किये जाने के प्रस्ताव एवं श्री गणेश भूमि एवं विकास संस्थान, जरिये भागीदार विजेन्द्र चौधरी द्वारा प्रेषित अभ्यावेदन/आपत्तियों का तकनीकी परीक्षण कर जिला स्तरीय झील (संरक्षण एवं विकास) समिति अजमेर के माध्यम से रिपोर्ट/प्रस्ताव भिजवाने हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया जाता हैः-

1. श्री मुकेश कुमार मित्तल, वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
2. श्रीमती सीता वर्मा, सचिव, नगर निगम अजमेर।
3. श्री पुरूषोत्तम जैसवानी, अधिशाषी अभियंता, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
4. श्री त्रिलोचन कुमावत, सहायक अभियंता, नगर परिषद किशनगढ (अजमेर)

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव,
पदेन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान झील विकास प्राधिकरण

D:\Raj. Lake Authority New Folder\3 Letter.doc